FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0004 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/01/2024 18:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/01/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/01/2024 **Time (समय):** 15:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/01/2024 18:33:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** Digg Road Malpura, Panchyat samiti Malpura

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Madan Lal chodhary

(b) Father's Name (पिता का नाम): Ramlal

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	32, Aadinath Nagar, Malpura, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	32, Aadinath Nagar, Malpura, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9414635366

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	pradeep sharama		पिता:Surender sharama	1. sitaram pura,malpura,TONK,RAJASTHA
2	Ram naresh saini		पिता:Jagdish mali	1. Bambori,Malpura,TONK,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक
विषय:- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्।
महोदय,

निवेदन है कि मैं मदनलाल चैधरी पुत्र श्री रामलाल चैधरी जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पुलिस थाना डिग्गी हाल प्लाट नम्बर 32 आदिनाथ नगर, नर्सरी के पीछे, जयपुर रोड मालपुरा जिला टोक का रहने वाला हु ॅ। मेरी ग्राम लाम्बाहरिसिंह में मैसर्स बालाजी टे ेडर्स के नाम से दुकान है जिसमें बिल्डिंग मेटेरियल का सामान सप्लाई करता हु। मेरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 31.07.2023 तक ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यो में मेटिरियल सप्लाई का निविदा (टेन्डर) मेरे नाम था। मैने ग्राम पंचायत सीतारामपुरा के निर्देशानुसार ग्राम गरजेडा व सीतारामपुरा में हेण्डपम्प के गढ्ढो के लिये रिंग व कवर सप्लाई किया था जिसके दो बिल 2450 रूपये व 3430 रूपये बना था तथा ग्राम सीतारामपुरा में भॅवर मीना के मकान के पास नाली निर्माण के लिये मेटिरियल सप्लाई किया था जिसका करीब 44060 रूपये का बिल बना था। उपरोक्त तीनो बिलो को पास करवाने हेतु दिनांक 01.05.2023 को मैंने ग्राम पंचायत में दिये थे। जिनका पेमेन्ट अभी तक नही हुआ है तथा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा द्वारा मेरे पूर्व के बिलो के भुगतान के दौराने काटे गये टी.डी.एस. व जी.एस.टी. के रिफन्ड के बिल करीब 78222 रूपये का भुगतान भी शेष है। जिसके भुगतान के लिये मैं श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से मिला तो उन्होने कहा ॅ कि तुने पूर्व के तेरे 35 लाख के बिलो में भी मेरा कमीशन नही दिया है तो मैने कहा ॅ कि मेरे द्वारा समय-समय पर आपका कमीशन आ ॅन लाईन पेमेन्ट के जरिये किया है तथा नकद भी दिया है। अब तो आपने ग्राम पंचायत का ठेका अन्य ऐजेन्सी को दे दिया है। मेरे तो यह पुराने बिल है इनको तो पास करवा दो। इस पर सरपंच साहब कहने लगे कि तु मुझे पुराने बिलो व इन बिलो का कमीशन 200000 रूपये देगा तब ही मै तेरे इन बिलो को पास करवाउगा ॅ नही तो बिलो को पेण्डिग ही रखूंगा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ग्राम पंचायत सीतारामपुरा को रिश्वत नही देना चाहता हु ॅ रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु ॅ। मेरी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से कोई रंजीश नही है नाहि रूपये पैसो का लेन-देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
मदनलाल चैधरी पुत्र श्री रामलाल चैधरी
जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रघुनाथपुरा ग्राम

पंचायत सीतारामपुरा पुलिस थाना डिग्गी
हाल प्लाट नम्बर 32,33 आदिनाथ नगर, नर्सरी के पीछे,

जयपुर रोड मालपुरा जिला टोक।
मोबाईल नम्बर 9414635366, 9001225546

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिन ाक 05.01.2024 समय 11 ए.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी पुत्र श्री रामलाल चैधरी जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पुलिस थाना डिग्गी हाल प्लाट नम्बर 32 आदिनाथ नगर, नर्सरी के पीछे, जयपुर रोड मालपुरा जिला टोक ने उपस्थित चैकी हाजा होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट

टे्डर्स के नाम से दुकान है जिसमें बिल्डिंग मेटेरियल का सामान सप्लाई करता हु॑। मेरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 31.07.2023 तक ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यो में मेटिरियल सप्लाई का निविदा (टेन्डर) मेरे नाम था। मैने ग्राम पंचायत सीतारामपुरा के निर्देशानुसार ग्राम गरजेडा व सीतारामपुरा में हेण्डपम्प के गढ्ढो के लिये रिंग व कवर सप्लाई किया था जिसके दो बिल 2450 रूपये व 3430 रूपये बना था तथा ग्राम सीतारामपुरा में भँवर मीना के मकान के पास नाली निर्माण के लिये मेटिरियल सप्लाई किया था जिसका करीब 44060 रूपये का बिल बना था। उपरोक्त तीनो बिलो को पास करवाने हेतु दिनांक 01.05.2023 को मैंने ग्राम पंचायत में दिये थे। जिनका पेमेन्ट अभी तक नही हुआ है तथा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा द्वारा मेरे पूर्व के बिलो के भुगतान के दौराने काटे गये टी.डी.एस. व जी.एस.टी. के रिफन्ड के बिल करीब 78222 रूपये का भुगतान भी शेष है। जिसके भुगतान के लिये मैं श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से मिला तो उन्होने कहा॑ कि तुने पूर्व के तेरे 35 लाख के बिलो में भी मेरा कमीशन नही दिया है तो मैने कहा॑ कि मेरे द्वारा समय-समय पर आपका कमीशन आ॑न लाईन पेमेन्ट के जरिये किया है तथा नकद भी दिया है। अब तो आपने ग्राम पंचायत का ठेका अन्य ऐजेन्सी को दे दिया है। मेरे तो यह पुराने बिल है इनको तो पास करवा दो। इस पर सरपंच साहब कहने लगे कि तु मुझे पुराने बिलो व इन बिलो का कमीशन 200000 रूपये देगा तब ही मै तेरे इन बिलो को पास करवाउगा॑ नही तो बिलो को पेण्डिग ही रखूंगा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ग्राम पंचायत सीतारामपुरा को रिश्वत नही देना चाहता हु॑ रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु॑। मेरी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से कोई रंजीश नही है नाहि रूपये पैसो का लेन-देन बकाया है। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यां॑े की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होकर द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड, पेण्डिग बिल, की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेष की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिष्वत राषि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिष्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी मैने अपने स्तर पर जानकारी की है श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा अभी ग्राम पंचायत में नही है किसी काम से बाहर गये हुये है। इस कारण मैं कल दिनांक 06.01.2024 को श्री प्रदीप शर्मा सरंपच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से मिलकर पेण्डिग बिलो, टी.डी.एस. व जी.एस.टी. के रिफन्ड बिलो के भुगतान के सम्बन्ध में वार्ता करूगा॑ तथा रिष्वत में दी जाने वाले राषि के सम्बन्ध में भी वार्ता कर लूंगा। समय 12.15 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 को तलब कर परिवादी मदनलाल चैधरी से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिका॑र्डर निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वा॑यस रिका॑र्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईष की गई तथा परिवादी को समझाईस की गई कि आरोपी के पास मा॑ग सत्यापन वार्ता करने जाने से पूर्व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। समय करीब 12.35 पी.एम. पर परिवादी को उचित हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 06.01.2024 समय 11.24 ए.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जर्ये दूरभाष बताया कि मेरी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब से बात हुयी है उन्होने मुझे 1.30 बजे के आस-पास बम्बोरी बालाजी के मन्दिर पर बुलाया है। अतः आप श्री जलसिंह जी को वायस रिकार्डर देकर डिग्गी नुक्कड भेज देवे। इस पर श्री जलसिंह कानि. 248 को तलब कर सरकारी डिजीटल वायस रिका॑र्डर में खाली मेमोरी कार्ड डालकर उचित हिदायत देकर मा॑ग सत्यापन वार्ता हेतु डिग्गी नुक्कड समय 11.35 ए.एम. पर रवाना किया गया। समय 02.06 पी. एम पर श्री जलसिंह कानि. 248 ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता हो गई है। उस वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया तो आरोपी परिवादी से रिष्वत राषि 180000 रूपये की मा॑ग कर रहा है तथा इस पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी से भी वार्ता की गई तो उसने भी बताया कि श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से वार्ता हो गई है जो वार्ता मैंने आपके द्वारा दिये वायस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा ने मेरे पेण्डिग बिलो, टी.डी.एस. व जी.एस.टी. के रिफन्ड बिलो के भुगतान करने तथा पूर्व में किये गये भुगतान के कमीषन के 180000 रूपये रिष्वत की मा॑ग कर रहे है तथा कल रिष्वत की राषि 180000 रूपये मालपुरा आकर लेने हेतु कहा॑ है। वायस रिकार्डर श्री जलसिंह जी को दे दिया है तथा मैं कल रिष्वत की राषि लेकर आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउगा॑ तथा अभी मेरे घर पर आवष्यक कार्य होने से मैं इस समय आपके कार्यालय पर उपस्थित नही हो सकता हु॑। इस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईस की गई तथा श्री जलसिंह कानि. 248 को वायस रिकार्डर लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु निर्देषित किया गया। समय 04.10 पी. एम. पर श्री जलसिंह कानि0 248 उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को वा॑यस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि मैं निर्देषानुसार रवाना होकर डिग्गी नुक्कड चैराहे पर पहु॑चा। जहा॑ पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी उपस्थित मिला। फिर मैं व परिवादी श्री मदनलाल चैधरी दोनो बम्बोरी बालाजी मन्दिर ग्राम बम्बोरी से पहले पहु॑चे। समय 01.38 पी.एम. पर मैंने वायस रिकार्डर चालू करके परिवादी को देकर उचित हिदायत कर मा॑ग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया तथा मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास

आया और उसने मुझे वायस रिकार्डर सुपर्द किया। मैने वायस रिकार्डर को बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से वार्ता हो गयी है। श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा ने मेरे पेण्डिग बिलो, टी.डी.एस. व जी.एस.टी. के रिफन्ड बिलो के भुगतान करने तथा पूर्व में किये गये भुगतान के कमीषन के 180000 रूपये की माॅग की तथा कल रिष्वत की राषि 180000 रूपये मालपुरा आकर लेने हेतु कहाॅ है। इस पर मैने वायस रिकार्डर चलाकर सुना तथा आपको जरिये दूरभाष निवेदन किया। इसके बाद मैं आपके निर्देषानुसार परिवादी को रिष्वत राषि लेकर सुबह एसीबी कार्यालय टोंक पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया हुं।'' मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित वाॅयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो मांग सत्यापन होना पाया गया। वायस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 07.01.2024 समय 8.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी पुत्र श्री रामलाल चैधरी जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पुलिस थाना डिग्गी हाल प्लाट नम्बर 32 आदिनाथ नगर, नर्सरी के पीछे, जयपुर रोड मालपुरा जिला टोक ए.सी.बी. चैकी टोक पर उपस्थित आया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 06.01.2024 को श्री जलसिंह जी कानि. साहब डिग्गी नुक्कड पर आये थे। फिर मैं व श्री जलसिंह जी दोनो बम्बोरी बालाजी मन्दिर ग्राम बम्बोरी से पहले पहुॅचे। समय 01.38 पी.एम. पर जलसिंह जी ने सरकारी वायस रिकार्डर चालू करके मुझे देकर उचित हिदायत कर माॅग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया था। मैं जलसिंह जी के पास से रवाना होकर बम्बोरी बालाजी के मन्दिर में गया तथा वहाॅ पर श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा मौजूद मिले। श्री प्रमोद शर्मा सरपंच साहब से मैने अपने पेण्डिग बिलो, टी.डी.एस. व जी.एस.टी. के रिफन्ड बिलो के भुगतान करने के लिये कहाॅ तो सरपंच साहब ने मुझसे वर्तमान बिलो तथा पूर्व में किये गये भुगतान के कमीषन के 180000 रूपये की रिष्वत की माॅग की तथा आज रिष्वत की राषि 180000 रूपये मालपुरा आकर लेने हेतु कहाॅ है। फिर मैं सरपंच साहब से वार्ता कर श्री जलसिंह जी के पास आया तथा उनको वायस रिकार्डर सुपर्द किया। जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया। फिर मैने जलसिंह जी को सारी बात बताई। फिर उन्होने मेरी आपसे बात करवाई थी। फिर जलसिंह जी वायस रिकार्डर को लेकर रवाना हो गये थे। समय 9.15 ए.एम. पर अग्रिम टे्प कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवष्यकता होने से श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रषासनिक अधिकारी को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय प्रमुख स्वास्थय विभाग सहादत अस्पताल टोक के नाम तहरीर जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया। समय 9.35 ए.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रषासनिक अधिकारी हमराह कार्यालय प्रमुख स्वास्थय विभाग सहादत अस्पताल टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. श्री मुकेष गुर्जर पुत्र श्री रामरतन गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी जैकमाबाद तहसील टोडारायसिंह जिला टोक हाल नर्सिंग ऑफिसर पी.एम.ओ. कार्यालय सहादत अस्पताल टोक मोबाईल नम्बर 9166737755 2. श्री गणेष कुमार धतुरिया पुत्र श्री हरिओम धतुरिया जाति नाई उम्र 39 साल निवासी प्लाट नम्बर 2 मराठा काॅलोनी छावनी, टोक हाल नर्सिंग ऑफिसर पी.एम.ओ. कार्यालय सहादत अस्पताल टोक मोबाईल नम्बर 9828321350 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो गवाहान का परिचय लिया जाकर परिवादी तथा स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी-अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.40 ए.एम. पर सुरक्षित रखे गये रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनंाक 06.01.2024 से सम्बंधित डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवाया जाकर वाॅयस रिकाॅर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलंिसह कानि. 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकाॅर्ड वार्ता को 1 पेन ड्राईव न्यायालय हेतु व 02 खाली सीडीयों (1 सीडी आरोपी व 1 सी.डी. आई.ओ. हेतु) में राईट किया गया। 1 पेन ड्राईव व 1 सीडी को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए-1, ए-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। उपरोक्त शील्डषुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। समय 11 ए.एम. पर रिष्वात मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड ज्ञक्ड 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त शील्डषुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी को आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राशि पेष करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के नोटों के 3 बण्डल कुल 300 नोट कुल राषि 1,50,000 तथा 500-500 रूपये के 60 नोट 30000 रूपये कुल 180000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेष किये। उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीषी श्री गणेष सिंह कानि0 चालक 375 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री गणेष सिंह से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तथा नोटों के एक सफेद थैली में रखा गया तथा थैली पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया। परिवादी मदनलाल चैधरी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाषी स्वतत्र गवाह श्री मुकेष गुर्जर से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पावडर लगी हुयी राषि मय थैली के परिवादी के

पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री गणेष सिंह से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का दृष्टान्त देकर समझाई गई तथा परिवादी को अपने सिर पर लगे टोपे को उतारकर तथा अगर रिष्वति राषि स्वंय गाडी में आरोपी को दी जावे तथा गाडी के चारो इन्डीकेटर चालू कर रिष्वति राषि लेन-देन का ईषारा करने हेतु समझाया गया एवं उक्त ईषारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेषकषी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी से आरोपी की लोकेषन के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा समय करीब 2 पी.एम. तक मालपुरा आयेगे तब मुझे फोन करेगे। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी, श्री आसिफ खान स.उ.नि., श्री जलसिंह कानि. 248, स्वतंत्र गवाह श्री मुकेष गुर्जर, को परिवादी की गाडी से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ ईष्वर प्रकाष कानि0 256, अजीत सिंह कानि0 56, राजकुमार कानि0 160, भूपेन्द्र कुमार एएओ एवं स्वतंत्र गवाह श्री गणेष कुमार धतुरिया तथा तैयारषुदा ट्रेप बाॅक्स, कार्यालय लेपटाॅप, वाॅयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से मालपुरा के लिए रवाना हुआ। श्री गणेष सिंह कानि0 को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 1.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी व गवाहान मय प्राईवेट वाहनो के मालपुरा पहुॅचा। जहाॅ पर परिवादी अपनी कार से उतर कर मेरे पास आया औश्र उसने बताया कि रास्ते में मैने श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा को फोन किया तो जिसने मुझे करीब 2-2.30 बजे बाद मालपुरा आने हेतु कहाॅ है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को समझाईस की गई कि जब भी आरोपी का फोन आये तो मुझे अवगत करावे। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुये मुकीम हुआ। समय 2.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने आकर बताया कि अभी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब का मेरे पास फोन आया है उन्होने मुझे राकेष इन्टरप्राईजेज एस.बी.आई. बैक के यहाॅ पर बुलाया है। इस पर समय 2.59 पी. एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 से सरकारी वायस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को सपुर्द किया तथा परिवादी को उचित हिदायत कर रवाना किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी के पिछे-पिछे कस्बा मालपुरा रवाना हुआ। समय 4.10 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 3ः30 पीएम पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी पुत्र श्री रामलाल चैधरी जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पुलिस थाना डिग्गी हाल प्लाट नम्बर 32 आदिनाथ नगर, नर्सरी के पीछे, जयपुर रोड मालपुरा जिला टोक ने अपनीे गाडी मारूति अर्टिगा के चारों इण्डिेकटर जलाकर रिष्वत राषि प्राप्ति के सम्बन्ध में ईषारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी की कार में दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए। जिनमें से एक व्यक्ति परिवादी के बराबर की सीट पर बैठा था जिसके एक हाथ में कुछ रूपये तथा एक हाथ में एक सफेद थेली पकडी हुई थी तथा दूसरा व्यक्ति मध्य सीट पर बैठा जिसके हाथ में कुछ नोट पकडे हुए थे। परिवादी ने वाॅयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये उनके पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि ‘‘यह ग्राम पचायंत सीतारामपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक मेें सरपंच प्रदीप शर्मा है जिन्होंने मेरे से 1,80,000/-रूपये मय सफेद थैली के लिये है, जो इनके हाथ में ही है तथा कुछ रूपये थैली में से निकालकर इनके गांव के रामनरेष सैनी को गिनने हेतु दिए है।’इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमाराहियान का परिचय देते हुये, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक का होना बताया। उक्त व्यक्ति को परिवादी से प्राप्त की गयी रिष्वत राषि के सम्बन्ध में पूछा गया तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि ‘‘मैनें इनसे कोई रिष्वत की मांग नहीं की, इन्होनें ही अपनी मर्जी से यह रूपये दिये है।’’ इन्होने मेरे से 180000 रूपये उधार ले रखे थे उन्ही रूपयो को इन्होने अभी दिया है। इस पर परिवादी मदन लाल चैधरी ने स्वतः ही बताया कि ‘‘यह झुंठ बोल रहा है, मेरी ग्राम लाम्बाहरिसिंह में मैसर्स बालाजी टेªडर्स के नाम से दुकान है जिसमें बिल्डिंग मेटेरियल का सामान सप्लाई करता हुॅ। मेरा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 31.07.2023 तक ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यो में मेटिरियल सप्लाई का निविदा (टेन्डर) मेरे नाम था। मैने ग्राम पंचायत सीतारामपुरा के निर्देषानुसार ग्राम गरजेडा व सीतारामपुरा में हेण्डपम्प के गढ्ढो के लिये रिंग व कवर सप्लाई किया था जिसके दो बिल 2450 रूपये व 3430 रूपये बना था तथा ग्राम सीतारामपुरा में भॅंवर मीना के मकान के पास नाली निर्माण के लिये मेटिरियल सप्लाई किया था जिसका करीब 44060 रूपये का बिल बना था। उपरोक्त तीनो बिलो को पास करवाने हेतु दिनांक 01.05.2023 को मैंने ग्राम पंचायत में दिये थे। जिनका पेमेन्ट अभी तक नही हुआ है तथा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा द्वारा मेरे पूर्व के बिलो के भुगतान के दौराने काटे गये टी.डी.एस. व जी.एस.टी. का करीब 78222 रूपये का भुगतान भी शेष है। जिसके भुगतान के लिये मैं श्री प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से मिला तो उन्होने कहाॅ कि तुने पूर्व के तेरे 35 लाख के बिलो में भी मेरा कमीषन नही दिया है तो मैने कहाॅ कि मेरे द्वारा समय-समय पर आपका कमीषन आॅन लाईन पेमेन्ट के जरिये किया है तथा नकद भी दिया है। अब तो आपने ग्राम पंचायत का ठेका अन्य ऐजेन्सी को दे दिया है। मेरे तो यह पुराने बिल है इनको तो पास करवा दो। इस पर सरपंच साहब कहने लगे कि तु मुझे पुराने बिलो व इन बिलो का कमीषन 200000 रूपये देगा तब ही मै तेरे इन बिलो को पास करवाउगाॅ नही तो बिलो को पेण्डिग ही

रखूंगा। दिनांक 06.01.2024 को मैं श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब से ग्राम बम्बोरी में स्थित बालाजी के मंदिर में मिला था तथा उनसे अपने पेंडिंग बिलो तथा टीडीएस व जी.एस.टी. के रिफण्ड के बिलों के भुगतान हेतु कहा तो सरपंच साहब ने कहा कि तुझे पूर्व के पास करवाए गए बिलों व इन पेंडिंग बिलोें का कमीषन 180,000 रूपये देना होगा। सरपंच ने मुझसे मेरे पेंडिंग बिलों को पास करने तथा पूर्व में मेरे किए गए बिलों के भुगतान की एवज में कमीषन के रिष्वत 180000 रूपये की मांग की तथा रिष्वत राषि आज मालपुरा मंे प्राप्त करने हेतु कहा। इस पर आज इनका मेरे पास फोन आया तथा मुझे एसबीआई बैंक के पास स्थित राकेष एण्टरप्राइजेस दूकान पर बुलाया जहां पर मैं पहूंचा तो वहां एक व्यक्ति रामनरेष सैनी निवासी ग्राम बम्बोरी आया तथा पैसे देने हेतु कहा तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सरपंच साहब से बात की। जिन्होंने मुझे पंचायत समिति मालपुरा के पास बुलाया तथा आपको भी पीछे-पीछे आने हेतु ईषारा किया। मैं अपनी कार लेकर पचायंत समिति के पास पहूंचा तो वहां पर एक दूकान पर श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब बैठे मिले। जिनसे मैंने बात की तथा रिष्वत राषि देने हेतु कहा तो उन्होंने किसी के आने के लिए कहा तभी वहां श्री रामनरेष सैनी आया जिसको सरपंच साहब ने रिष्वत राषि देने हेतु कहा। मैंने रामनरेष सैनी को रूपये देने से मना किया उसके बाद मैं अपनी गाडी में बैठ गया। फिर मेरी पास वाली सीट पर श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब बैठ गए तथा बीच वाली सीट पर श्री रामनरेष सैनी बैठ गया फिर मैंने अपनी दाहिनी जेब से रिष्वत राषि 180,000 रूपये मय सफेद थैली अपनी पेंट की दाहिनी जेब से निकाल कर दी। श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ने थैली में से कुछ रूपये निकालकर गिनने हेतु श्री रामनरेष सैनी को दिए तथा कुछ रूपये गिनने अपने हाथ में लिए जिस पर मैंने अपनी कार अर्टिगा के इण्डीकेटर चालू करके रिष्वत प्राप्ति का निर्धारित ईषारा कर दिया था। इस पर आरोपी से पुनः पूछा गया तो आरोपी प्रमोद शर्मा रोने लगा तथा कहने लगा कि ‘‘इसने मेरी जिन्दगी खराब कर दी है। मैने इसके पहले काफी बिल पास करवाये थे लेकिन इसने मुझे कमीषन नही दिया। मैने इसके तीन बिलो को भुगतान करने के लिये रोक रखा था तथा इसके जी.एस.टी. व टी.डी.एस. के रिफन्ड बिलो का भी भुगतान नही होने दे रहा था। ताकि यह मेरे पूर्व का कमीषन दे सके।‘‘ इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की कार की बीच की सीट में बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामनरेष सैनी पुत्र जगदीष माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक का होना बताया जिससे उसके हाथ में पकडी हुई रिष्वत राषि के संबंध में पूछा तो बताया कि ’’मुझे अभी अभी सरपंच साहब ने अपने पास की थैली से रूपये निकालकर गिनने हेतु दिए थे’’ तथा बताया कि ’’आज सुबह 10-11 बजे के आसपास की बात है कि मैं ग्राम बम्बोरी के तालाब की पाल पर स्थित बोरिंग पर नहा रहा था तभी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच अपनी मोटरसाईकिल लेकर आये तथा कहा कि अपन मालपुरा किसी काम से चलकर आते है। जिस पर मैं सरपंच साहब श्री प्रदीप शर्मा के साथ उनकी मोटरसाईकिल पर बैठकर मालपुरा पचायंत समिति आये तथा उन्होंने कहा कि मदन लाल चैधरी ठेकेदार राकेष एण्टरप्राईजेस की दूकान पर आयेगा जिससे रूपये लेकर आने है। मैं तुझे दूकान के बाहर छोड दूंगा। फिर प्रदीप शर्मा सरपंच साहब ने मुझे राकेष एण्टरप्राईजेस की दूकान पर छोडा। वहां पर मुझे श्री मदन लाल चैधरी ठेकेदार साहब मिले जिनसे मैंने सरपंच साहब के रूपये देने हेतु कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं रूपये सरपंच साहब को ही दूंगा। फिर मैं वहां से रवाना होकर पंचायत समिति मालपुरा पर आ गया था। वहां पर पंचायत समिति के समीप स्थित दूकान के पास सरपंच साहब प्रदीप शर्मा खडे थे। मैं भी उनके पास चला गया। फिर सरपंच साहब ने ठेकेदार मदन जी को मुझे रूपये देने हेतु कह रह थे परन्तु मदन जी ठेकेदार श्री प्रदीप शर्मा सरपंच साहब को ही पैसे देने हेतु कह रहे थे। फिर हम तीनों मदन जी की गाडी मंे बैठ गए। गाडी में मदन जी के पास वाली सीट पर सरपंच साहब बैठे थे। मैं मदन जी के पीछे वाली सीट पर बैठा था। उस समय सरपंच साहब ने एक थैली से कुछ रूपये निकालकर मुझेे गिनने हेतु दिए थे। मुझसे गलती हो गयी। मैं माफी चाहता हूं। आरोपी प्रदीप शर्मा सरपंच के हाथ के रूपये व सफेद थैली को गवाह श्री मुकेष गुर्जर को सुपुर्द करवाये तथा रामनरेष सैनी के हाथ में रखे रूपये को गवाह श्री गणेष कुमार को सुपुर्द करवाकर सुरक्षित रखवाए गए। घटनास्थल आम रास्ता होने से काफी भीड एकत्रित हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच के दाहिने हाथ को श्री जलसिंह कानि.नं. 248 से तथा बाये हाथ को श्री राजकुमार कानि. 160 से कलाई के उपर से पकडवाकर तथा आरोपी रामनरेष सैनी के दाहिने हाथ को श्री आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक पुलिस व बांये हाथ को श्री अजित सिंह कानि. 56 से कलाई के उपर से पकडवाकर हमराह लेकर पुलिस थाना डिग्गी के अंदर प्रवेष किया जहां थानाधिकारी कक्ष के बाहर श्री अयूब खान उपनिरीक्षक थानाधिकारी थाना डिग्गी मौजूद मिले जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराही जाप्ता का परिचय देकर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के लिए उनके कक्ष का उपयोग करने हेतु मौखिक सहमति चाही तो उन्होंने अपनी मौखिक सहमति देने पर मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय आरोपीगण श्री प्रदीप शर्मा सरपंच व श्री रामनरेष सैनी के कक्ष में प्रवेष किया तथा अग्रिम ट्रैप कार्यवाही आरंभ की गयी। इसके पष्चात् गाडी से ट्रेप बाॅक्स मंगवाया जाकर दो साफ डिसपोजल के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी प्रदीप शर्मा सरपंच के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का

रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। साफ डिसपोजल के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। डिस्पोजल गिलासो को बाहर फिकवाया गया तथा दो नए साफ डिस्पोजल के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी रामनरेष सैनी दलाल के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर एच-1, आर एच-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। साफ डिसपोजल के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री रामनरेष सैनी दलाल के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल एच-1, एल एच-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। गवाह श्री मुकेष गुर्जर के पास आरोपी श्री प्रदीप शर्मा सरपंच से बरामद रिष्वती राषि जो पूर्व में रखवाई गयी थी का मिलान पूर्व की मूर्तिबषुदा फर्द पेषकषी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है। उक्त रिष्वती राषी के नोटों के प्रथम बण्डल 500-500 रूपये नम्बरी 1 CP 493501 से 1 CP 493600 तक कुल 100 नोट को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क-एन-1, द्वितीय बण्डल 500-500 रूपये नम्बरी 1 CP 493801 से 1 CP 493900 तक कुल 100 नोट एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क-एन-2 एवं तृतीय बण्डल 500-500 रूपये नम्बरी 1 CP 493901 से 1 CP 494000 तक कुल 100 नोट को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क-एन-3 अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये तथा गवाह श्री मुकेष गुर्जर के पास अलग रखे रिष्वती राषि के 500-500 रूपये के नोटो को गिनवाया गया तो कुल 500-500 रूपय के बीस नोट कुल दस हजार रूपये होना पाया गया जिनका मिलान पूर्व की मूर्तिबषुदा फर्द पेषकषी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   5AB 640895
2. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   5GV 620088
3. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   7BK 011435
4. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   5DR 764390
5. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   1AG 027514
6. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   4CR 163973
7. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   4QG 220353
8. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   2TK 128433
9. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   7UT 778840
10. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   8DE 283566
11. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   3PL 770917
12. एक नोट 500 रूपये नम्बरी

जो पूर्व में रखवाई गयी थी को गिनवाया गया तो कुल 500-500 रूपय के चालीस नोट कुल बीस हजार रूपये होना पाया गया जिनका मिलान पूर्व की मूर्तिबषुदा फर्द पेषकषी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   4KN 857098
2. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   4AG 972921
3. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   1KK 518586
4. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   6BS 050179
5. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   8FN 750852
6. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   0AB 438852
7. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   5BH 318229
8. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   8CK 367109
9. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
   9AS 088826
10. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    0PC 699885
11. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    8HL 125219
12. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    4BM 277683
13. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    4 BM
    277684
14. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    6UG 541165
15. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    3QA 007235
16. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    1NN 807885
17. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    2WF 183918
18. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    4FE 898353
19. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    5HR 072130
20. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    4GT 902685
21. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    2NE 171912
22. एक नोट 500 रूपये नम्बरी
    0EV 747738

की सिम नम्बर 9950059471 लगी हुयी है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य टेलिफोनिक वार्ता भी हुयी है, अतः उक्त मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क-एम-1 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दौराने कार्यवाही श्री विजय चैधरी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पचायत समिति मालपुरा को परिवादी श्री मदन लाल चैधरी के पंेडिंग बिलो से संबंधित पत्रावली लेकर एसीबी कार्यालय टोंक आने हेतु निर्देषित किया गया। समय 5.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री ईष्वर प्रकाष कानि. 256, श्री अजीत सिंह कानि. 56 मय परिवादी श्री मदनलाल चैधरी मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटाप के घटना स्थल का नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु मय प्राईवेट वाहन के रवाना हुआ तथा श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय जाप्ता श्री जलसिंह कानि. 248, श्री राजकुमार कानि. 160 मय आरोपीगणो के आरोपीगणो की निगरानी हेतु पुलिस थाना डिग्गी उचित हिदायत देकर छोडा गया। समय 5.50 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय परिवादी व गवाहान के घटना स्थल पंचायत समिति मालपुरा के पास पहुॅचा। घटना स्थल का नजरी निरीक्षक कर गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निषादेही से नक्षा मौका मुर्तिब किया तथा समय 6.15 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान बाद नक्षा मौका पुलिस थाना डिग्गी के लिये रवाना हुआ। समय 6.25 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय परिवादी व गवाहान के पुलिस थाना डिग्गी आया। समय 6.30 पी.एम. पर आरोपी श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री मदनलाल चैधरी से उसके पेंडिंग बिलों व टीडीएस, जी.एस.टी. के रिफण्ड बिलों को पास करने तथा पूर्व मंे परिवादी के 35 लाख के पास किए गए बिलों के एवज में कमीषन के रूप में रिष्वत के 180,000/-रूपये की मांग करना पाया गया तथा आरोपी द्वारा परिवादी से 180,000 रूपए रिष्वत राषि लेना तय हुआ जिसके अनुसरण में आज दिनांक 07.01.2024 को आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 1,80,000/- रूपये परिवादी को देकर आरोपी श्री प्रदीप शर्मा के बताये अनुसार भेजा जिस पर आरोपी ने अपने दलाल रामनरेष सैनी के साथ मिलकर परिवादी से उसकी कार मंे बैठकर आरोपी प्रदीप शर्मा द्वारा एक सफेद थैली में रखी रिष्वत राषि को अपने हाथों मंे लेकर उसमें कुछ रूपये लेकर अपने दलाल रामनरेष सैनी को गिनने हेतु दिए थे तथा स्वयं भी रूपये गिनने लगा। आरोपीगणों द्वारा परिवादी से 180,000 रूपये मौके पर ग्रहण किये, रिष्वती राषि के 180,000/-रूपये आरोपीगणो से बरामद की गयी। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120बी ता.हि. का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 7 पी.एम. पर आरोपी श्री रामनरेष सैनी पुत्र जगदीष माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक द्वारा आरोपी प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा से मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी से रिष्वति राषि 180000 रूपये जानकारी होने के उपरान्त भी रिष्वति राषि प्राप्त करने में आरोपी प्रदीप शर्मा का सहयोग किया तथा आरोपी प्रदीप शर्मा के दलाल के रूप में रिष्वति राषि प्राप्त की। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120बी ता.हि. का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 7.25 पी.एम. पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी व श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रषासनिक अधिकारी को कार्यालय ए.सी.बी. टोक के लिये रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान व गिरफ्तारषुदा आरोपीगणो प्रदीप शर्मा व रामनरेष सैनी मय टेªप बाक्स, जप्तषुदा व शील्डषुदा आर्टिकल्स, रिष्वति राषि, वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के आरोपी श्री प्रदीप शर्मा के रिहायषी मकान की खाना तलाषी हेतु थाना डिग्गी से ग्राम बम्बोरी रवाना हुआ। समय 7.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता व आरोपीगणो के आरोपी श्री प्रदीप शर्मा के रिहायषी मकान ग्राम बम्बोरी पहुॅचकर आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाषी ली गई। बाद खाना तलाषी समय 8.10 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारषुदा आरोपीगण मय टेªप बाक्स, जप्तषुदा व शील्डषुदा आर्टिकल्स, रिष्वति राषि, वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. चैकी टोक के लिये रवाना हुआ। समय 9.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारषुदा आरोपीगण मय टेªप बाक्स, जप्तषुदा व शील्डषुदा आर्टिकल्स, रिष्वति राषि, वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. चैकी टोक आया। जहाॅ पर परिवादी श्री मदनलाल चैधरी व श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रषासनिक अधिकारी उपस्थिति मिले। आरोपीगणो को खाना खिलवाया गया। समय 9.35 पी.एम. पर रिष्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलंिसह कानि. 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकाॅर्ड वार्ता को 1 पेन ड्राईव न्यायालय हेतु व 03 खाली सीडीयों (2 सीडी आरोपीगण व 1 सी.डी. आई. ओ. हेतु) में राईट किया गया। 1 पेन ड्राईव व 2 सीडीयो को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी-1, बी-

2, बी-3 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 11.30 पी.एम. पर श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री जलसिंह कानि. 248 मय आरोपीगण प्रदीप शर्मा व श्री रामनरेष सैनी के आरोपीगणो के स्वास्थय परीक्षण व सुरक्षार्थ कोतवाली में छोडने हेतु तहरीर देकर उचित हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 08.01.2024 समय 12.10 ए.एम. पर श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री जलसिंह कानि. 248 के वापस आये व जाहिर किया किय मय गिरफ्तारषुदा आरोपीगण प्रदीप शर्मा व श्री रामनरेष सैनी के रवाना होकर अस्पताल टोक पहु ॅचे। आरोपीगणो का स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की तथा बाद स्वास्थय परीक्षण के रवाना होकर कोतवाली टोक पहु ॅचे तथा आरोपीगणो को सुरक्षार्थ कोतवाली टोक में दाखिल करवाकर रसीद प्राप्त की गई। रवाना होकर वापस आये। समय 12.15 ए.एम. पर रिष्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड ञक्ड 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.40 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाषान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं समय 1.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 1.40 ए.एम. पर पूर्व में कार्यलय आलमारी में रखे रिष्वत मांग सत्यापन से सम्बन्धित शील्डषुदा पैकेट पेनड्राईव व सी.डी. मार्क ए-1, ए-2 व रिष्वत मा ॅग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड का सिल्डषुदा पैकेट मार्क एम को निकालवाकर व ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तषुदा व सिल्डषुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, सफेद थैली पैकिट मार्क ‘‘टी‘‘ सिल्डषुदा रिष्वती राषि 180000/- रूपये मार्क एन-1, एन-2, एन-3, एन-4, एन-5, व रिष्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित पेन ड्राईव व सीडिया ॅ पैकेट मार्क बी-1, बी-2, बी-3 एवं रिष्वत लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड का शील्डषुदा पैकेट मार्क ‘‘एम-2‘‘ जप्तषुदा मोबाईल पैकिट मार्क ‘‘एम-1-‘‘ बतौर वजह सबूत जरिये आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक के जमा मालखाना करवाया गया। समय 2.20 ए.एम पर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिष्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव, सीडिया ॅ तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 2.50 ए.एम. पर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिष्वत लेनदेन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिष्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री मदनलाल चैधरी से उसके पेंडिंग बिलों व टीडीएस, जी.एस.टी. के रिफण्ड बिलों को पास करने तथा पूर्व मंे परिवादी के 35 लाख के पास किए गए बिलों के एवज में कमीषन के रूप में रिष्वत के 180,000/-रूपये की मांग करना पाया गया तथा आरोपी द्वारा परिवादी से 180,000 रूपए रिष्वत राषि लेना तय हुआ जिसके अनुसरण में दिनांक 07.01.2024 को आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 1,80,000/- रूपये परिवादी को देकर आरोपी श्री प्रदीप शर्मा के बताये अनुसार भेजा जिस पर आरोपी प्रदीप शर्मा ने अपने दलाल रामनरेष सैनी के साथ मिलकर परिवादी से उसकी कार मंे बैठकर एक सफेद थैली में रखी रिष्वत राषि को अपने हाथों मंे लेकर उसमें कुछ रूपये लेकर अपने दलाल रामनरेष सैनी को गिनने हेतु दिए थे तथा स्वयं भी रूपये गिनने लगा। आरोपीगणों द्वारा परिवादी से 180,000 रूपये मौके पर ग्रहण किये, रिष्वती राषि के 180,000/-रूपये आरोपीगणो से बरामद की गयी तथा आरोपी श्री रामनरेष सैनी पुत्र जगदीष माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक ने आरोपी प्रदीप शर्मा से मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर परिवादी से रिष्वति राषि 180000 रूपये जानकारी होने के उपरान्त भी रिष्वति राषि प्राप्त करने में आरोपी प्रदीप शर्मा का सहयोग किया तथा आरोपी प्रदीप शर्मा के दलाल के रूप में रिष्वति राषि प्राप्त की। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120बी ता.हि. का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण 1. श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक 2 श्री रामनरेष सैनी पुत्र जगदीष माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है।

अति. पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री राजेश आर्य, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत सीतारामपुरा, पंचायत समिति मालपुरा, जिला टोंक एवं 2. श्री रामनरेश सैनी पुत्र जगदीश माली निवासी ग्राम बम्बोरी, पुलिस थाना डिग्गी, जिला टोंक (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकार श्री नरसीलाल मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को सुपुर्द कर प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।उपरोक्त के सम्बन्ध में रोजनाचा में रपट संख्या 120 दिनांक 8.1.2024 अंकित की गई है।

(विशनाराम)

पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 14-10 दिनांक 08.01.2024
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2.आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Narsi Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/01/2024 18:44:38

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				
2	Male	2002				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)